श्रीधर सी० भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 28.09.2012 को प्रखण्ड कार्यालय, बेतिया का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :–

1.0 परिचय :–

इस प्रखण्ड की स्थापना दिनांक 01.10.1962 को हुई थी। प्रखंड से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

1	प्रखण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल	5919 हेक्टेयर
2	कृषि योग्य भूमि	5251.44 हेक्टेयर
3	खरीफ फसल का क्षेत्रफल	2064.02 हेक्टेयर
4	रबी फसल का क्षेत्रफल	2403.35 हेक्टेयर
5	सिंचित क्षेत्र	1242.71 हेक्टेयर
6	असिंचित क्षेत्र	4038.73 हेक्टेयर
7	कुल पंचायतों की सं0	07
8	अनुसूचित क्षेत्र समिति	–
9	कुल आबादी वाले गांवों की सं0	15
क	बेचिरागी	–
ख	अधिसूचित क्षेत्र	–
ग	वार्डों की संख्या	39
10	प्रखण्ड की कुल आबादी	–
क	ग्रामीण क्षेत्र	68242
ख	अधिसूचित क्षेत्र	–
ग	अनुसूचित जाति	10151
घ	अनुसूचित जनजाति	759
ड	पिछड़ी जाति	11690
11	कृषक मजदूरों की संख्या	पु0–36013 म0– 23004
क	कृषि मजदूरों की सं0	पु0–40554 म0– 23004
12	भूमि वर्गीकरण	
क	उंची भूमि	250.70 हे0
ख	मध्यम भूमि	600.15 हे0
ग	नीची भूमि	2250.45 हे0
13	सिंचाई	–
क	राजकीय नलकूपों की सं0	–
ख	निजी नलकूपों की सं0	140
ग	उद्‌भव सिंचाई	–
घ	डीजल पंपसेट की सं0	135
ङ	विद्युत पंपसेट की सं0	–
14	उन्नत औजार	–
क	ट्रैक्टर	127
ख	पावर टीलर	–
15	पौधा संरक्षण	–
क	गहोर स्प्रेयर	25
ख	मैपस सैक	48
ग	डस्टर	01
16	राष्ट्रीयकृत सं0	–
17	थोक उर्वरक विक्रेताओं की सं0	–
18	खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की सं0	06
19	खुदरा उर्वरक विक्रेता	06
20	अधिकृत बीज विक्रेता	06

21	बायोगैस प्लांट	–
22	प्राथमिक विद्यालयों की सं0	54
23	मध्य विद्यालयों की सं0	30
24	उच्च विद्यालयों की सं0	06
25	महाविद्यालयों की सं0	05

2.0 भवन :–

वर्तमान में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय, बेतिया, बेतिया राज की भूमि जिसके दो तरफ पक्का सड़क बना हुआ है पर अवस्थित है। निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय की भूमि हजारी पशु मेला के सैरात का हिस्सा है। वर्तमान में पशु मेला प्रखंड कार्यालय के सामने अवस्थित पथ के दक्षिण स्थित भू–खंड पर जो लगभग 36 एकड़ का है, लगाया जाता है। वर्तमान में पूर्व निर्मित अंचल–सह–प्रखंड कार्यालय का भवन अत्यंत ही जर्जर है। किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः उक्त भवन को डिमॉलिस कर नए भवन निर्माण हेतु कारंवाई करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस हेतु अग्रेत्तर कारंवाई करने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।

प्रखंड कार्यालय वर्तमान में पूर्व निर्मित ट्राईसम भवन में संचालित है। इस भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ के अतिरिक्त प्रखंड कार्यालय के कर्मियों के बैठने हेतु बड़ा हॉल, प्रखंड नजारत के लिए एक छोटा कमरा तथा बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रखंड एवं अंचल के काउंटर के लिए एक कमरा उपलब्ध है। इस कमरे के बगल में अंचल गार्ड को रहने के लिए एक कमरा उपयोग किया जा रहा है। इस भवन से सटे ट्रायसम मद से निर्मित अन्य एक भवन जिसमें प्रखंड प्रमुख एवं प्रखंड उप प्रमुख का कार्यालय प्रकोष्ठ तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी का कार्यालय अवस्थित है।

परिसर में पुराने भवन के बगल में पुराने निर्मित समुदायिक भवन में बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा भवन के एक कमरे में अंचल का नजारत संचालित है।

अंचल कार्यालय पुराने निर्मित सामुदायिक भवन में संचालित है जिसमें एक कमरा अंचल अधिकारी का कार्यालय प्रकोष्ठ के रूप में तथा एक हॉल अंचल कर्मियों के बैठने हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। इस अंचल कार्यालय के बगल में एक पुराने गोदाम अवस्थित है जिस की उपयोग जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है, बताया गया। प्रखंड परिसर में प्रखंड संसाधन केन्द्र भवन निर्मित है। इसके अतिरिक्त एस0जी0एस0वाई0 मद से निर्मित बिक्री–सह–प्रदर्शनी केन्द्र जिसमें वर्तमान में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का डाटा–सह–चार्ज सेंटर स्थापित है, उपलब्ध है।

पूर्व निर्मित सामुदायिक भवन में मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी का कार्यालय वर्तमान में संचालित है।

उपरोक्त सभी भवनों के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि से राहत सामग्री भंडारण हेतु एन0आर0ई0पी0 के कार्यपालक अभियंता के माध्यम से गोदाम का निर्माण कराया गया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि निर्माण पूर्ण होने के पश्चात भवन का स्थानांतरण नहीं

किया गया है। अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण से पत्राचार कर भवन को अधिग्रहित करने की कार्रवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

वर्तमान में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय लगभग 8 एकड़ के जमीन पर अवस्थित है। जमीन की चारों ओर मात्र जर्जर चहारदीवारी उपलब्ध है। चहारदीवारी का निर्माण कार्य बी0आर0जी0एफ0 अंतर्गत जिला परिषद के मद से कराया जाना प्रस्तावित है। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से सम्पर्क कर निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

निरीक्षण के क्रम में नए डिजाइन के अनुसार प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय की निर्माण करने हेतु प्रखंड का नजरी नक्शा तैयार कर के विहित माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही पुराने भवन के रद्दीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

2.1 आवासीय भवन :–

वर्तमान में निरीक्षण के क्रम में 4 आवासीय भवन उपलब्ध पाया गया इसमें से एक भवन को प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है। दो पर्यवेक्षकीय आवास प्रखंड कार्यालय के नाजीर एवं उर्दू अनुवादक के उपयोग में लाया जा रहा है। एक चतुर्थवर्गीय का आवास है जिसमें प्रखंड कार्यालय के चतुर्थवर्गीय कर्मी रह रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी के आवास हेतु भवन उपलब्ध नहीं है और प्रखंड कार्यालय के अन्य कर्मियों के लिए भी आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

3.0 प्रभार :–

श्री पवनेश्वर महतो, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दिनांक 09.07.2011 से प्रभार में है, पूर्व में श्री कमल किशोर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

4.0 स्थापना :–

कर्मचारी / पदाधिकारीगण के स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थापना की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	रिक्त	पदस्थापित का नाम	योगदान की तिथि..
1	प्र0 वि0 पदा0, बेतिया	1	कार्यरत	पवनेश्वर महतो	09....07..11
2	ग्राम पर्यवेक्षक	1	रिक्त	–	.–
3	प्र0 कृ0 पदा0	1	–	योगेन्द्र राम (प्रभारी)	.25.06.12
4	प्र0 पशु0 पदा0	1	–	–	–
5	प्र0 सांख्यिकी पर्यवेक्षक	1	कार्यरत	अनु कुमारी	27.01.11
6	प्र0 कल्याण पदा0	1	कार्यरत	सुधीर कुमार	
7	प्र0 प्रसार पदा0	1	रिक्त		
8	कनीय अभियंता	2	1	श्री सुजय सुमन	
9	कनीय अभियंता, नरेगा	1	1	श्री रविन्द्र कु0 सिंह	28.02.2009
10	पंचायत सेवक	7	3	ध्रुव मिश्र ध्रुव कुमार आशिक अंसारी राजदेव ठाकुर	28.06.11 29.06.11 29.06.11
11	कृषि परामर्शी	10	9	योगेन्द्र राम	25.06.12

4.1 कार्यालय कर्मचारीगण –

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	रिक्त	पदस्थापित का नाम	योगदान की तिथि
1	प्रधान लिपिक	1	–	रमेश कु0 वर्मा	18.07.09
2	नाजीर	1		नंदकिशोर प्रसाद	पत्रांक 940 / 11.08.09
3	लिपिक	3	1	श्री हीरा यादव (प्रतिनियुक्त, डी0आर0डी0ए0) मे0 हसन जान	04.03.11 29.06.12
4	लेखा लिपिक	1	1	श्री प्रकाश चन्द्र	05.07.11
5	राजभाषा	3	1	श्री तैयब रजा, स0 उर्दू अन0 श्री नन्दकिशोर प्रसाद, हिन्दी टंकक म0 तफज्जुल हुसैन अंसारी, उर्दू अनुवादक	09.04.08 16.02.10 12.11.09

4.2 चतुर्थवर्गीय कर्मचारीगण –

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	रिक्त	पदस्थापित का नाम	योगदान की तिथि
1	जंजीर वाहक	1	–	श्री रविभूषण प्र0 श्रीवास्तव	28.04.06
2	अनुसेवक	4	3	श्री फैयाजुल हक श्री चंदन कुमार मिन्टू प्रसाद(गोपनीय प्रशाखा में प्रतिनियुक्त)	10.09.1984 15.12.10 28.09.10

4.3 जीप चालक –

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	रिक्त	पदस्थापित का नाम	योगदान की तिथि
1	जीप चालक	1	–	श्री जगदीश सिंह	02.09.1988

5.0 सेवा पुस्त :–

सेवा पुस्त पंजी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं पाया गया। जिला स्तर पर सेवा पुस्त संधारित करने से संबंधित विहित प्रपत्र पूर्व में निर्गत किया गया है जिसे अनुलग्नक "क" में संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर इस प्रपत्र में संधारित कर अनुपालन प्रेषित करेंगे।

श्री चंदन कुमार, कार्यालय परिचारी जिनका अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हुई है के सेवा पुस्त का अवलोकन किया। दिनांक 31.05.2012 तक सेवा सत्यापित है। दिनांक 01.07.2012 को वार्षिक वेतन वृद्धि की प्रविष्टि अंकित है एवं जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित है। अवकाश लेखा में कोई प्रविष्टि अंकित नहीं है।

श्री तफज्जुल हुसैन अंसारी, उर्दू अनुवादक के सेवा पुस्त का अवलोकन किया। दिनांक 31.05.2012 तक सेवा भुगतान के आधार पर सत्यापित है। 01.07.2012 को वार्षिक वेतन वृद्धि की प्रविष्टि अंकित की गयी है। वर्ष 2004 के बाद अवकाश लेखा में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है।

जिन कर्मियों का स्थानांतरण के फलस्वरूप यहां योगदान दिया गया है उनके पूर्व पदस्थापित कार्यालय से पत्राचार कर विशेष दूत के माध्यम से सेवा पुस्त प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी सेवा पुस्त में वर्ष में दो बार भुगतान के आधार पर सेवा समपुष्टि, अवकाश लेखा का अद्यतनीकरण तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान में इस कार्यालय के अधीन कोई भी कर्मी निलंबित नहीं है।

6.0 पूर्व निरीक्षण :–

पूर्व में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यालय का निरीक्षण किया गया जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है–

क्र0	निरीक्षी पदाधिकारी	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षक प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	03.01.1991	03.03.1991	13.08.1991
2	जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया	11.05.1990	19.07.1990	30.07.1990
3	उप विकास आयुक्त, प0 चम्पारण, बेतिया	15.01.1990	02.02.1990	08.05.1990
4	अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया सदर	23.09.2011	01.10.2011	04.06.2012
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेतिया	30.06.1995	07.07.1995	–
6	कार्यालय अधीक्षक, बेतिया	08.12.1993	31.12.1993	–

वर्ष 1990 के बाद उप विकास आयुक्त के द्वारा और 1993 के बाद किसी कार्यालय अधीक्षक द्वारा इस कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है। उप विकास आयुक्त छह माह के अंदर सभी प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

7.0 पत्राचार –

इस कार्यालय में प्राप्त पत्रों के लिए प्रधान एवं अप्रधान पंजी संधारित है एवं निर्गत के लिए प्रधान एवं अप्रधान पंजी संधारित है। वर्ष 2010 से आज तक प्राप्त एवं निर्गत पंजी की विवरणी निम्न प्रकार है–

क्र0	प्राप्त एवं निर्गत पंजी	प्राप्त पत्र	निर्गत
1	प्रधान प्राप्त पंजी	2010 में 30 2011 में 11 2012 में 07	–
2	अप्रधान प्राप्त पंजी	2010 में 930 2011 में 798 2012 में 371	
3	प्रधान निर्गत पंजी	–	
4	अप्रधान निर्गत पंजी	2010 में 1405 2011 में 1776 दिनांक 27.09.2012 तक 1082	–
5	लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जिसके लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है। इस काउंटर पर पेंशन एवं अंचल से संबंधित प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र प्राप्त किया जाता है। आवेदकों को प्राप्ति रसीद दिया जाता है। आवेदकों के लिए शेड तथा बेंच की व्यवस्था की गयी है।		

8.0 लंबित पत्रों की पंजी –

प्रखण्ड कार्यालय में प्रधान प्राप्त पत्रों की लंबित पंजी एवं निर्गत पत्रों की लंबित संधारित है। उक्त पंजी में लंबित पत्रों का निष्पादन एक पक्ष के अंदर करते हुए अनुपालन प्रेषित करेंगे।

9.0 अनुकमणी पंजी –

इस कार्यालय में अनुकमणी पंजी संधारित की गई है। अनुकमणी पंजी के अनुसार ही प्रधान लिपिक द्वारा प्राप्त पत्रों की संख्या अंकित कर लिपिकों की लॉगबुक में प्रविष्टि की जाती है। पताका लगाकर शीर्षवार अंकित करें। जिल्द लगाकर पंजी संधारित करें।

10.0 प्रधान लिपिक नोट बुक –

प्रधान लिपिक के पास नोटबुक संधारित है। जिसके आलोक में बेतिया प्रखण्ड के कार्य को त्वरित निष्पादन किया जाता है। अद्यतन करने का निर्देश दिया गया तथा प्रतिदिन की महत्वपूर्ण घटनाओं/पत्र प्राप्ति को अंकित करने का निदेश दिया गया।

11.0 लोकायुक्त :–

इस कार्यालय में लोकायुक्त से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया।

12.0 न्यायालय :–

इस कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया।

13.0 अंकेक्षण :–

अंकेक्षण आपत्ति के संबंध में कार्यालय में कोई आपत्ति नहीं है, बताया गया। उप विकास आयुक्त इस कार्यालय से संबंधित लंबित अंकेक्षण आपत्तियों की छानबीन करेंगे। यदि आपत्ति हो तो निष्पादन सुनिश्चित करायेंगे।

14.0 सूचना का अधिकार :–

आवेदन प्राप्ति और निष्पादन से संबंधित कोई पंजी संधारित नहीं है। बताया गया कि एक आवेदन निष्पादन हेतु लंबित है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त राशि को कोषागार के निर्धारित जमा शीर्ष में चलान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

15.0 बिहार लोक सेवा का अधिकार :–

15.1 मुख्यमंत्री कन्या विवाह :– मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में एक आवेदन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद निष्पादन हेतु लंबित है। पृच्छा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत आच्छादित कर दिया गया है में पाया गया कि कुल 35 आवेदन आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर प्राप्त हुए हैं जिसमें से 18 की समय अवधि पूर्ण हो चुकी है। पूछताछ के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आवंटन नहीं रहने के कारण स्वीकृति नहीं दी गयी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि योग्य अभ्यर्थियों को समय सीमा के अंदर स्वीकृति देना सुनिश्चित करेंगे एवं प्राप्त आवंटन के विरुद्ध

वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह निदेश दिया गया कि आर0टी0पी0एस0 से पूर्व कन्या विवाह से संबंधित प्राप्त सभी आवेदनो को सूचीबद्ध करेंगे तथा विवाह की तिथि के अनुसार सीरीज तैयार कर कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे। आवंटन प्राप्त होते ही उसी सीरिज में लाभ का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

15.2 पेंशन :– सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत अप्रील, 2012 से सितम्बर, 2012 तक छह माह का एकमुश्त पेंशन की राशि का वितरण किया जाना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बानुछापर एवं पीपरापकड़ी पंचायत में अभी भी वितरण पेंशन वितरण किया जा सका है। शेष सभी पंचायतों में वितरण किया जा चुका है। 30.09.2012 तक पूर्ण रूप से वितरण सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता का प्रेषण सुनिश्चित करेंगे।

वर्तमान में जिला प्रोग्राम कार्यालय द्वारा कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामान्य घटक में 449487 रू0 एवं अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए विशेष घटक में 166662 रू0 आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त राशि को एक माह के अंदर पूर्ण रूप से व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

16.0 कब्रिस्तान :–

बेतिया प्रखंड अंतर्गत कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत सभी योजना पूर्ण हो गया है, बताया गया। वर्तमान की दो योजना प्रगति पर है। निर्माण पूर्ण कराने हेतु राशि की मांग जिला कल्याण कार्यालय से की गयी है। जिला कल्याण पदाधिकारी शेष राशि की विमुक्ति करते हुए 2 माह के अंदर योजना पूर्ण कराकर उपयोगिता प्राप्त कर योजना को अंतिम रूप से बंद करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

17.0 महादलित मिशन :–

महादलित मिशन अंतर्गत वर्क शेड निर्माण की दो योजना की स्वीकृति इस प्रखंड के लिए प्राप्त है। दोनों योजना पूर्ण बताया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी उपयोगिता फोटोग्राफ सहित प्राप्त कर महादलित मिशन, बिहार को प्रेषित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

18.0 विसवान :–

निरीक्षण के क्रम में विस्वान की कम्प्यूटर विडियो कांफ्रेसिंग सुविधा प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपलब्ध पाया गया। विस्वान की विडियो कांफ्रेंसिंग प्रकोष्ठ में लगे विंडोव ए0सी0 अकार्यरत पाया गया। निरीक्षण के क्रम में विस्वान के ऑपरेटर श्री निर्भय श्रीवास्तव उपलब्ध पाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण ए0सी0 बंद रखा गया है।

19.0 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास :–

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत दो योजना स्वीकृत है। एक योजना अपूर्ण है। 1,07,300 रू0 का आवंटन के विरूद्ध 97,500 रू0 का व्यय किया गया है। द्वितीय किस्त की राशि की मांग कर योजना को एक माह के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

20.0 बी0आर0जी0एफ0 :–

इस योजना अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुआ है नियमानुसार व्यय सुनिश्चित कर कार्य पूर्ण करायें। कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोगिता प्राप्त कर अभिलेख बंद कर दें।

21.0 13वें वित्त :–

इस योजना अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुआ है नियमानुसार व्यय सुनिश्चित कर कार्य पूर्ण करायें। कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोगिता प्राप्त कर अभिलेख बंद कर दें।

22.0 एम0एस0डी0पी0 :–

इस योजना अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुआ है नियमानुसार व्यय सुनिश्चित कर कार्य पूर्ण करायें। कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोगिता प्राप्त कर अभिलेख बंद कर दें।

23.0 नजारत :–

शीर्षदार सहायक रोकड़ बही की विवरणी दिनांक 15.10.2009 तक निम्नवत् है :–

क्र0	विषय वस्तु	राशि
1	2515 सी0 डी0 पी0 102	75047.15
2	2515 101 पंचायत	275655.57
3	2225 कल्याण	4630221.00
4	आई0 ए0 वाई0 / एम0 एस0 डी0 पी0	16631353.14
5	एम0 पी0 लैड्स	188760.00
6	कबीर अंत्योष्टि एवं कन्या विवाह	158200.00
7	रा0 पा0 लाभ एवं मातृत्व लाभ	543923.00
8	3454 जनगणना	1489859.75
9	2235 सा0 सु0 पेंशन	3454519.00
10	2053 जिला प्रशासन	10653.55
11	3456 आपूर्ति	25000.00
12	2230 श्रम रोजगार	135250.00
13	2015 निर्वाचन	79110.94
14	2071 पेंशन	4152.00
15	एम0 एल0 ए0 एवं एम0 एल0 सी0	10689.00
16	एस0 जी0 एस0 वाई0 (सी0 एन0 सी0)	34053.80
17	सूद	3013819.70
18	आधारभूत संरचना	907.00
19	शिक्षा प्रोत्साहन भत्ता	1761.00
20	पंचायत चुनाव	12009.37
21	एस0 जी0 आर0 वाई0	20000.00
22	आर0 टी0 पी0 एस0	9994.00
	कुल	**30804938.97**

23.1 Cash Details :-

Sl. No	Particulars	Amount
1	Banks Rs.	21136069.13
2	Advance Rs.	5333377.96
3	Voucher Rs.	3954584.38
4	चेक में	0.00
5	S.L Rs.	380907.50
	Total	30804938.97

23.2 Bank Wise Statement :-

Sl.	Name of the Bank	A/c No.	चेक निर्गत पंजी के अनुसार	पासबुक अद्यतन की स्थिति	पासबुक के अनुसार राशि
1	B.O.B, Bettiah	12310100001394	9760.00	25.9.12	358612.00
2	B.O.B, Bettiah	12310100001395	50210.00	25.9.12	133087.00
3	B.O.B, Bettiah	12310100010678	54513.00	20.6.12	58997.50
4	S.B.I, Bettiah	01100050020	97197.00	25.9.12	182609.00
5	S.B.I, Bettiah	1115899722	44179.25	25.9.12	239439.00
6	A.D.B, Bettiah	11405992630	3351064.12	25.9.12	3352040.00
7	A.D.B, Bettiah	11406035432	74083.35	-	-
8	A.D.B, Bettiah	11405976877	7093313.31	25.9.12	7437576.00
9	N.C.C, Bettiah	3728	412.43	31.3.12	224816.43
10	C.B.I, Bettiah	1693782003	41133.00	3.7.12	55512.00
11	B.O.I, Bettiah	12012	94515.00	25.9.12	125620.00
12	B.O.I, Bettiah	828	467.00	-	-
13	Post Office	102670	57888.00	-	-
14	Axis Bank	4851	64046.00	25.9.12	129372.00
15	U.B.G.B, Bettiah	4855	35037.00	25.8.12	94939.00
16	U.B.G.B, Gonauli	969	1025243.00	20.9.12	162982.00
17	U.B.G.B, Barawat Prasrain	3228	588134.20	12.9.12	1054141.00
18	U.B.G.B, Hariwatika	2276	36159.92	4.6.12	140384.00
19	U.B.G.B, Barawat Prasarian	5520	82727.10	18.9.12	584277.00
20	H.D.F.C, Bettiah	16481450000017	34745.00	23.7.12	264386.00
21	Allahabad Bank	50079488890	1640.00	7.6.12	491197.00
22	Indian Bank	985014127	679000.00	25.9.12	812863.00
23	Indian Bank	989102101	7171101.00	25.9.12	7400030.00
24	Indian Bank	6015252937	94500.00	25.9.12	95978.00
25	C.B.I Bazar Samiti	3959814940	355000.00	25.9.12	699870.00
		Tolal	**21136069.13**		**24098728.93**

23.3 शीर्ष 2515 (102) मद में सब्सिडियरी पंजी का अवलोकन किया। 75,047 रू0 अंतशेष दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि इंदिरा आवास कैम्प आयोजन के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है जो शीर्ष 2515 (102) में सब्सिडियरी पंजी में दर्शाया गया है। यह इंदिरा आवास के रोकड़ पंजी में बुक किया जाना है। यह नियमानुसार नहीं है। विसंगति को दूर करने की कार्रवाई की जाय।

23.4 शीर्ष 2515 (101) मद में रोकड़ बही के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मद में पंचायत सेवकों के वेतन, ग्राम कचहरी के न्याय मित्र/सचिव के मानदेय, पंचायत के पंचायत सचिव के सदस्यों के यात्रा भत्ता एवं मानदेय की राशि की विवरणी की प्रविष्टि की गयी है। वर्तमान में 2,75,255.57 रू0 अंतशेष दर्शाया जा रहा है। यह अंतशेष दिनांक 29.10.2010 से अग्रगणित होता आ रहा है और उसके बाद जो राशि प्राप्त हुई है वह उसी मद में खर्च हो रहा है। इस

प्रकार स्पष्ट है कि दो वर्ष पूर्व से यह राशि रोकड़ बही में पड़ा हुआ है। पूछताछ के क्रम में कुछ भी स्पष्ट जानकारी न तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा न ही प्रखंड के नाजीर द्वारा दी जा सकी। प्रखंड विकास पदाधिकारी समीक्षा कर अनुपयोगी राशि किस मद का है की छानबीन कर एक पक्ष के अंदर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अनुपयोगी राशि को कोषागार के संबंधित जमा शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन प्रेषित करेंगे।

23.5 शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा मद में सब्सिडीयरी पंजी में एक कर्मी का वेतन तथा 6 प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि सन्निहित है। कुल 3454519 रू0 अवशेष दर्शाया गया है।

सामाजिक सुरक्षा मद में वर्तमान निदेश के आलोक में पंचायत वार कैम्प आयोजित कर नगद राशि वितरण करने का प्रावधान किया गया है। पहला कैम्प अप्रील, 2012 में आयोजित कर पेंशन का वितरण किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जनवरी, 2012 से मार्च, 2012 तक तिमाही का एक बार जो राशि का नगद वितरण किया गया है उसमें से एक पंचायत सेवक का अभिश्रव समायोजन हेतु अभी भी लंबित है। अप्रील, 2012 से सितम्बर, 2012 तक कुल छह माह तक की राशि कैम्प के माध्यम से बांटने हेतु राशि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त नगद राशि अग्रिम स्वरूप अलग–अलग तिथियों पर अलग–अलग पंचायत सेवक को निर्गत किया गया है। गनौली एवं बरबत पसराइन पंचायत के पंचायत सेवक श्री घ्रुव मिश्र को अग्रिम के रूप में 23,40,000 रू0 पेंशन वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। उनका अभिश्रव अप्राप्त है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दोनों प्रभार वाले पंचायत में केवल तीन माह की पेंशन राशि का भुगतान किया गया है एवं तीन माह के पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। श्री मिश्र द्वारा गलतफहमी में तीन माह का वितरण करने की बात स्वीकार की गयी। उनसे स्पष्टीकरण पूछकर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

श्री आशिक अंसारी, पूर्वी करगहिया पंचायत के पंचायत सचिव को 5,00,000 रू0 अग्रिम के विरूद्ध 4,98,000 का अभिश्रव दिया गया है। अवशेष 2000 रू0 जमा नहीं किया गया है। जमा कर अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रेषित करेंगे।

श्री योगेन्द्र राम, पंचायत सचिव, अहवर मंझरिया को पेंशन वितरण हेतु अग्रिम स्वरूप 5,00,000 रू0 उपलब्ध कराया गया है। अभिश्रव अप्राप्त है। अविलम्ब अभिश्रव प्राप्त कर उपयोगिता का प्रेषण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

श्री राजदेव ठाकुर, पंचायत सचिव, बरबत पसराइन को पेंशन वितरण हेतु अग्रिम स्वरूप 7,64,500 रू0 दिया गया है। उनके द्वारा 7,64,000 रू0 का अभिश्रव उपलब्ध कराया गया है, 500 रू0 का अभिश्रव उपलब्ध कराना अवशेष है। दो दिन के अंदर पूर्ण अभिश्रव उपलब्ध कराकर उपयोगिता का प्रेषण सुनिश्चित करेंगे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेतिया को चेतावनी दी जाती है जो नगद राशि बांटने के लिए दिया जाता है उसका उसी माह अभिश्रव प्राप्त करके समायोजन एवं बची हुई राशि को वापस करते हुए उपयोगिता साप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

23.6 निरीक्षण के क्रम में वरीय प्रभारी प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय श्री सूर्यनारायण सिंह अनुपस्थित पाए गए। उनके द्वारा प्रखंड के कार्यों का अनुश्रवण सही नहीं पाया गया। उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

23.7 **डीजल अनुदान** :– 4,79,912 रू0 अग्रिम के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा डीजल अनुदान वितरण हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी है। 2,2,375 रू0 का अभिश्रव उपलब्ध कराया गया है। शेष राशि वितरण योग्य नहीं बताया गया। अतः अस्वीकृत आवेदनों की सूची संलग्न कर शेष बची राशि को कोषागार में दो दिन के अंदर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

23.8 शीर्ष 2071 पेंशन मद में 4152 रू0 अवशेष दर्शाया गया है, जो पूर्व वर्षों का है, उसे कोषागार के जमा शीर्ष में जमा करा कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

23.9 शिक्षा प्रोत्साहन भत्ता मद में 1761 रू0 दर्शाया गया है। यह राशि अनुपयोगी है। कोषागार के जमा शीर्ष में जमा कर अनुपालन प्रेषित करेंगे।

23.10 पंचायत चुनाव मद में 12,009 रू0 दर्शाया गया है। इस राशि को कोषागार के जमा शीर्ष में जमा करा कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

24.0 इंदिरा आवास :–

दिनांक 12.10.2012 को राज्य स्तर से इंदिरा आवास वितरण शिविर का आयोजन प्रस्तावित है। इस हेतु लाभार्थियों का चयन कर बैंक खाता खोलने की कार्रवाई करें। खाता खुलने के बाद बैंक एडवाइस के माध्यम से राशि बैंक को उपलब्ध कराते हुए राशि पासबुक में इंट्री सुनिश्चित करेंगे। इस शिविर की सूचना स्थानीय माननीय विधायक, विधान पार्षद, सांसद, त्रिस्तरीय पंचायत राज निकाय के त्रिस्तरीय निर्वाचित सदस्यों को उपलब्ध कराकर शिविर के अवसर पर उपस्थित रहने हेतु अनुरोध करें।

25.0 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :–

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 17 आवेदन पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया सदर द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस मद में मो0 170000/– रूपया का चेक प्राप्त हुआ है, जिसमें 17 स्वीकृत आवेदन पत्र की राशि वितरित हो चुकी है।

26.0 कबीर अन्त्येष्टि :–

इस योजना मद में सामान्य घटक में 48700/– एवं विशेष घटक में 56000/– रूपया अर्थात कुल 104700/– रूपया की राशि अवशेष है। जिसे सभी पंचायत को आवंटित की जा रही है। पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्राप्त कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को प्रेषित करेंगे।

27.0 निष्कर्ष :-

प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय के लिए नये भवन निर्माण कराने की आवश्यकता है। कार्यालय एवं वित्तीय प्रबंधन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1587 / गो0, दिनांक 13/10/2012

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1587 / गो0, दिनांक 13/10/2012

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

(3) 15/x/12